



द्वितीय कार्यकारी परिषद की दिनांक 22.02.2012 को आयोजित पहली बैठक के कार्यवृत्त

समूह I अनुमोदन अपेक्षित मर्दे

ई सी : 11:01 अध्यक्ष द्वारा सदन को व्यवस्थितकहा जाना

कार्यवृत्त

11.01.1 अध्यक्ष से सदन को व्यवस्थित कहे जाने का अनुरोध किया गया। अध्यक्ष ने सभी सम्माननीय सदस्यों को सिक्किम विश्वविद्यालय के द्वितीय कार्यकारी परिषद की ऐतिहासिक पहली बैठक में स्वागत किया ।

ई सी : 11:02 निधन सूचना

कार्यसूची टिप्पणी:

11.02.1 निम्नलिखित प्रतिष्ठित व्यक्तियों का मृत्यु समाचार सदन के समक्ष गहरे शोक के साथ प्रस्तुत किया गया :

1. श्री नावांग गोम्बु, विश्व विख्यात पर्वतारोही एवं सिक्किम विश्वविद्यालय के प्रथम कार्यकारी परिषद का सदस्य
2. श्री सत्य साई बाबा, धार्मिक नेता एवं लोकहितैषी
3. श्री अजित भट्टाचार्या, प्रख्यात पत्रकार एवं लेखक
4. श्री एम के गुरुंग, उपनिदेशक, एच आर डी डी, सिक्किम सरकार
5. सिक्किम राज्य में दिनांक 18.09.2011 को धारा 6.9 रिक्टर स्केल में विनाशकारी भूकंप के निर्दोष पीडित
6. प्रख्यात गायक श्री भूपेन हजारिका, जो 05.11.2011 को गुजर गए
7. प्रख्यात गजल गायक श्री जगजीत सिंह, जो 10.10.2011 को गुजर गए
8. एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स, जिनकी मृत्यु 05.10.2011 को हुई
9. अनुभवी कलाकार श्री शम्मी कपुर, जिनका मृत्यु 14.08.2011 को हुई ।
10. प्रसिद्ध असमीय लेखिका इंदिरा गोस्वामी (मामोनी रायसम गोस्वामी नाम से लोकप्रिय), जिनकी मृत्यु 29.11.2011 को हुई ।



11. डॉ0 प्रहलाद योन्जोन, प्रसिद्ध शैक्षणिक शास्त्री एवं पर्यावरणविद् , काठमांडु जिनकी मृत्यु नवंबर, 2011 में हुई ।
12. डा0 ए के एम अब्दुस सबूर, निदेशक, बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय एवं रणनीतिक अध्ययन संस्थान (बी आई आई एस एस) ढाका, जिनकी मृत्यु नवम्बर, 2011 में हुई ।

11.02.2 विश्वविद्यालय के निम्नलिखित कार्मिक सदस्यों ने भी हाल में अपने पारिवारिक सदस्यों की क्षति झेला:

13. श्री जगदीश्वर चारी, डा0 ओम प्रसाद गाड़े, एसोसिएट फेलो के पिताजी
14. श्री वी जी वेलमुरुगन, श्री वी इल्लमपारिथी, एसोसिएट प्रोफेसर के पिताजी
15. श्रीमती मन कुमारी सिन्हा, श्री समर सिन्हा, एसोसिएट प्रोफेसर के माताजी
16. श्रीमती शिखा नाग, डा0 सामिक नाग, एसोसिएट प्रोफेसर की मां
17. श्रीमती शुभावती राई, डा0 एस के राई, एसोसिएट फेलो की मां

कार्यवृत्त

11.02.1 सदन ने प्रतिष्ठित व्यक्तियों एवं कार्मिक सदस्यों के सगे संबंधी की निधन पर विचार किया, जैसा कि रिपोर्ट किया गया था तथा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में सदन ने दो मिनट का मौन धारण किया ।

ई सी : 11:03

संस्थापक उपकुलपति द्वारा कार्यनिष्पादन उल्लेख

कार्यवृत्त

11.03.1 संस्थापक उपकुलपति से सदन के समक्ष इन साढ़े चार वर्षों के दौरान विश्वविद्यालय में की जा रही विभिन्न गतिविधियों पर अपना प्रेक्षण देने का अनुरोध किया गया। संस्थापक उपकुलपति द्वारा पूर्व में ही दोपहर में संचालित किए गए प्लेनरी सत्र में अपना प्रस्तुतीकरण दिए जाने के कारण सदन से कार्यसूची मद के साथ आगे बढ़ने का अनुरोध किया गया । सदस्यों ने उपकुलपति को विश्वविद्यालय द्वारा अब तक की गई विस्तृत प्रगति के लिए बधाई दी, साथ ही सदस्यगण विश्वविद्यालय के निर्धारित लक्ष्यों एवं मिशन से प्रभावित हुए ।

11.03.2 प्रो0 राव ने पूछा कि क्या विश्वविद्यालय में अंतर शास्त्रीय पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं, इस पर संस्थापक उपकुलपति ने उत्तर दिया कि सिक्किम विश्वविद्यालय में सभी पाठ्यक्रम अंतर-शास्त्रीय हैं, जहां छात्रों को किसी पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय के अन्य पाठ्यक्रमों से अपने विकल्प हेतु विषय पत्र चुनने की स्वतंत्रता है । उदाहरणस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग से एम ए को कोई छात्र अपने इच्छानुसार कोई विषय/पत्र विकल्प के रूप में रख सकता है । प्रो0 असीम गुप्ता ने वैज्ञानिक समय खंड निर्माण करने का सुझाव दिया, ताकि छात्रगण अपने मुख्य कार्यक्रम की कक्षाओं को छोड़े बगैर भिन्न कार्यक्रम से अपने वैकल्पिक पत्रों की कक्षाओं में बैठ पाने में सक्षम हो सके ।



कार्यकारी परिषद की ग्यारहवीं बैठक के कार्यवृत्त -22.02.2012- गंगटोक

ई सी : 11:04	दिनांक 03.04.2011 को आयोजित प्रथम कार्यकारी परिषद की अंतिम बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि
--------------	---

कार्यवृत्त

11.04.1 सदन ने प्रथम कार्यकारी परिषद की दिनांक 03.04.2011 को आयोजित अंतिम एवं 10वीं बैठक के कार्यवृत्त को नाट किया, जो कि अनुलग्नक ई सी XI-01 के रूप में संलग्न किया गया था एवं इसकी पुष्टि तथा अनुमोदन किया गया ।

ई सी : 11:05	प्रथम कार्यकारी परिषद की दिनांक 03.04.2011 को आयोजित पिछली बैठक के कार्यवृत्त पर अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट
--------------	--

कार्यवृत्त

11.05.1 सदन ने प्रथम कार्यकारी परिषद की दिनांक 03.04.2011 को आयोजित अंतिम एवं 10वीं बैठक के कार्यवृत्त पर अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट को नोट किया, जो कि अनुलग्नक ई सी XI - 02 के रूप में संलग्न की गई थी तथा इसकी पुष्टि एवं अनुमोदन किया गया ।

ई सी : 11:06	प्रथम शैक्षणिक परिषद की दिनांक 21.05.2011 को आयोजित 9वीं बैठके के कार्यवृत्त को नोट किया जाना तथा इन पर की गई अनुशंसाओं पर विचार करना ।
--------------	---

कार्यवृत्त

11.06.1 सदन ने प्रथम शैक्षणिक परिषद की दिनांक 21.05.2011 को आयोजित 9वीं बैठके के कार्यवृत्त को नोट किया जो कि अनुलग्नक ई सी XI-03 के रूप में संलग्न किया गया था तथा इसकी पुष्टि एवं अनुमोदन किया ।

ई सी : 11:07	प्रथम शैक्षणिक परिषद की दिनांक 20.08.2011 को आयोजित अंतिम एवं 10वीं बैठके के कार्यवृत्त को नोट किया जाना तथा इन पर की गई अनुशंसाओं पर विचार करना
--------------	--

कार्यवृत्त

12.07.1 सदन ने प्रथम शैक्षणिक परिषद की दिनांक 20.08.2011 को आयोजित अंतिम एवं 10वीं बैठके के कार्यवृत्त को नोट किया जो कि अनुलग्नक ई सी XI-04 के रूप में संलग्न किया गया था तथा इसकी पुष्टि एवं अनुमोदन किया ।



ई सी : 11:08	वित्त समिति की दिनांक 03.12.2011 को आयोजित सातवीं बैठक के कार्यवृत्त को नोट करना तथा इस पर गई अनुशंसाओं पर विचार करना ।
--------------	---

कार्यवृत्त

12.08.1 सदन ने वित्त समिति की दिनांक 03.12.2011 को आयोजित सातवीं बैठक के कार्यवृत्त को नोट किया जो कि अनुलग्नक ई सी VI -05 के रूप में संलग्न किया गया था, तथा इसकी पुष्टि एवं अनुमोदन किया ।

ई सी : 11:09	शिक्षण कर्मचारियों को नियमित आधार पर नियुक्ति।
--------------	--

11.09.1 सदन ने इनके समक्ष प्रस्तुत कार्यसूची मद पर विस्तृत विचार किया । अध्यक्ष महोदय ने सदन के समक्ष संपूर्ण भर्ति प्रक्रिया, विशाल संख्या में आवेदनों की संवीक्षा से आरंभ करके, विभिन्न श्रेणियों पर आधारित वैज्ञानिक ढंग से चयनित सूची निर्माण एवं अंततः किसी प्रसिद्ध संस्थान से लिए गए वरिष्ठ प्रोफेसर/विशेषज्ञ द्वारा संवीक्षा के बारे स्पष्ट किया । उन्होंने उल्लेख किया कि इनके प्रसंस्करण की संपूर्ण प्रक्रिया तथ अभ्यर्थियों की अंतर्वाता आयोजित करने का कठिन कार्य संकाय द्वारा अद्वितीय निष्ठा एवं कर्तव्यभावना से किया गया थ । उन्होंने स्पष्ट किया कि अन्य विश्वविद्यालयों में ऐसी प्रक्रियाएं या तो अतिलागत से आउटसोर्स की जाती है, अथवा बृहत संख्या में प्रबंधन कर्मचारियों द्वारा संपन्न की जाती है । अध्यक्ष महोदय ने सदन को जानकारी दी कि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शित अदभ्य उत्साह, प्रयास एवं उमंग के माध्यम से भर्ति प्रक्रिया बहुत ही सुचारू, पारदर्शी एवं प्रभावी ढंग से संपन्न हुई । अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रावधानों के अनुरूप अंतर्वार्ता का संचालन निर्धारित मानदंडों का अनुसरण करते हुए विधिवत् गठित चयन समिति द्वारा किया गया । चयन समिति बोर्ड का गठन ज्ञान एवं प्रतिष्ठा के विस्तृत क्षेत्र से सुविख्यात शैक्षणिक विशेषज्ञों एवं व्यवसायिकों द्वारा किया गया था । वे देश के सर्वोत्तम संस्थानों का प्रतिनिधित्व करते थे ।

11.09.2 सदन ने विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षण पदों के लिए भर्ति प्रक्रिया के संचालन में किए गए सर्वोत्तम कार्य की सराहना की । सदन ने उपकुलपति द्वारा इन चयन समितियों की अध्यक्षता में बिताए/सौंपे गए विशाल समय सीमा की भी प्रशंसा की ।

11.09.3 बाद में सदन के समक्ष विधिवत् अनुशंसा की गई चयनित सदस्यों की सूची वाले सील बंद लिफाफे तथा चयन समिति की अनुशंसाओं से संबंधित अन्य लिफाफे खोले गए थे । तथा अध्यक्ष ने चयनित अभ्यर्थियों के नाम पैन्लों की सूची में से पढ़कर सुनाया एवं सदन के समक्ष इनके विचारार्थ प्रस्तुत किया



कार्यकारी परिषद की गयारहवीं बैठक के कार्यवृत्त -22.02.2012- गंगटोक

11.09.4 सदन ने विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में शिक्षण कर्मचारियों के रूप में उद्घाटित नामों पर विचार किया तथा पैनल का अनुमोदन किया (अनुलग्नक ई सी XIएम 1)

11.09.5 सदन ने पैनल में विभिन्न पदों के लिए सूचबद्ध चयनित अभ्यर्थियों के प्रतिनियुक्ति प्रस्ताव जारी किए जाने हेतु भी अपना अनुमोदन दिया ।

ई सी : 11:10 यू जी सी द्वारा स्वीकृत गैर शिक्षण पदों के सृजन हेतु अनुमोदन

कार्यवृत्त

11.10.1 कार्यकारी परिषद ने यू जी सी द्वारा 11 वीं योजना आवंटन के विरुद्ध स्वीकृत किए गए निम्नलिखित 36 गैर शिक्षण पदों के निर्माण हेतु अनुमोदन किया

Sl. No.	Name of the Post	Band Pay & Grade Pay (in Rs.)	No. of Posts	Mode of Recruitment	Reservation
1.	आंतरिक लेखा परीक्षा अधिकारी	15600-39100 जीपी 7600	1	प्रतिनियुक्ति पर	यूआर-1
2.	सहा. पुस्तकालयाध्यक्ष	15600-39100 जीपी 6000	1	सीधी भर्ति	यूआर-1
3.	कार्यकारी इंजीनियर	15600-39100 जीपी 6600	1	सीधी भर्ति	यूआर-1
4.	अर्धव्यवसायिक सहायक	5200-20200 जीपी 2800	1	सीधी भर्ति	यूआर-1
5.	कार्यकारी सहायक [कार्मिक सहायक]	9300-34800 जीपी 4200	1	सीधी भर्ति	यूआर-1
6.	कार्यकारी [सहायक]	9300-34800 जीपी 4200	2	सीधी भर्ति	यूआर-1 &ओबीसी-1
7.	सहायक कार्यकारी [प्रवर श्रेणी लिपिक]	5200-20200 जीपी 2400	2	सीधी भर्ति	यूआर-1 &ओबीसी-1
8.	कनिष्ठ कार्यकारी [अवर श्रेणी लिपिक]	5200-20200 जीपी 1900	4	सीधी भर्ति	यूआर-2, SC-1 ओबीसी-1
9.	सुरक्षा पर्यवेक्षक	5200-20200 जीपी 2800	1	सीधी भर्ति	यूआर-1
10.	पुस्तकालय परिचारी	5200-20200 जीपी 1800	2	सीधी भर्ति	यूआर-2
11.	कार सपोर्ट[डाइवर]	5200-20200 जीपी 1900	2	सीधी भर्ति	यूआर-2
12.	सिस्टम एनालिस्ट	15600-39100 जीपी 5400	1	सीधी भर्ति	यूआर-1
13.	कूक	--	1	आउटसोर्स	--
14.	तकनीकी सहायक	5200-20200 जीपी 2800	3	सीधी भर्ति	यूआर-3
15.	प्रयाग. सहायक	5200-20200 जीपी 2000	2	सीधी भर्ति	यूआर-2
16.	प्रयोग. परिचारी	5200-20200 जीपी 1800	8	सीधी भर्ति	यूआर-5, ओबीसी-2 &एससी-1
17.	चिकित्सा अधिकारी	15600-39100 जीपी 5400	1	सीधी भर्ति	यूआर-1
18.	नर्स	9300-34800 जीपी 4200	1	सीधी भर्ति	यूआर-1
19.	नर्सिका परिचारी	5200-20200 जीपी 1800	1	सीधी भर्ति	यूआर-1



कार्यकारी परिषद की गयारहवीं बैठक के कार्यवृत्त -22.02.2012- गंगटोक

11.10.2 इस राष्ट्रीय संस्थान के निर्माण में गैर शिक्षण कार्मिकों की संकटकालीन न्यूनतम संख्या की अनिवार्यता पर विचार करते हुए अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित कि उपरोक्त पदों पर भर्ति मार्च 2012 के अंत तक पूरा किया जाना प्रस्तावित है ।

11.10.3 उपरोक्त प्रेक्षणों के साथ, सदन में स्वीकृत गैर शिक्षण पदों के सृजन का अनुमोदन किया ।

ई सी : 11:11	सत्र 2012-13 से नए पाठ्यक्रमों को लागू किया जाना
--------------	--

कार्यवृत्त

11.11.1 सदन ने कार्यसूची मद पर विस्तृत चर्चा किया तथा आगामी शैक्षणिक सत्र 2012-13 के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निम्नलिखित पाठ्यक्रम को आरंभ किए जाने का अनुमोदन किया ।

क्र. सं०	स्कूल का नाम	विभाग का नाम	प्रस्तावित पाठ्यक्रम
1.	भौतिक एवं रसायन विज्ञान स्कूल	गणित एवं सांख्यिकी विभाग	गणित में एकीकृत बी एस सी/ एम एस सी
2.	भाषा विज्ञान एवं भाषाएं स्कूल	हिंदी भाषा एवं साहित्य विभाग	हिंदी भाषा एवं साहित्य में एम.ए
3.	भौतिक एवं रसायन विज्ञान स्कूल	रसायन विज्ञान विभाग	रसायन विज्ञान में एम फिल/ पी एच डी
4.	मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान स्कूल	भुगोल एवं प्राकृति संसाधन प्रबंधन विभाग	भुगोल एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में एम फिल/ पी एच डी
5.	मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान स्कूल	आर्थिक अध्ययन एवं आयोजना विभाग	आर्थिक अध्ययन एवं आयोजना में एम फिल/ पी एच डी
6.	मिडिय, संचार एवं सूचना विज्ञान स्कूल	पत्रकारिता एवं जन संचार विभाग	पत्रकारिता एवं जनसंचार में एम फिल/ पी एच डी



कार्यकारी परिषद की गयारहवीं बैठक के कार्यवृत्त -22.02.2012- गंगटोक

ई सी : 11:12 पदधारियों के कार्यकाल में विस्तार

कार्यवृत्त

11.12.1 सदन ने निम्नलिखित पदधारियों के कार्यकाल में अगले छः माह (अर्थात 01.02.2012 से लागू) हेतु इस आशय के साथ विस्तार का अनुमोदन किया कि विश्वविद्यालय इसमें आगे विस्तार न करे, क्योंकि नियमित पदधारीगण ऐसी गतिविधियों को करने के लिए आ गए हैं।

क्र. सं०	पदधारी का नाम	पदनाम	नियुक्ति का तरीका	कार्यकाल	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1	डा० एडिथ सैलो	विशेष कार्य अधिकारी	प्रतिनियुक्ति	1 वर्ष	02.02.2011

ई सी : 11:13 दो प्रबंधन कर्मचारियों की परिलब्धियों का परिशोधन।

कार्यवृत्त

11.13.1 आंतरिक पूनरीक्षण समिति द्वारा पृष्ठांकित अनुशंसाओं पर विचार करते हुए सदन ने निम्नलिखित प्रबंधन कर्मचारियों की परिलब्धियों में परिशोधन का अनुमोदन किया।

क्र.सं०	नाम	पदनाम	सेवा का वर्ष (खंड अवधि में)	वर्तमान परिलब्धियां	प्रस्तावित परिलब्धियां
	श्री निषाद सुब्बा	कार्यकारी	1 ½ वर्ष	24678	29232
	श्रीमती मिनु घाषा	कार्या.सहायक	3 ½ वर्ष	16458	18184

11.13.2 सदन ने श्रीमती मिनु थापा के पदनाम को कनिष्ठ कार्यकारी के रूप में उनके कार्यलय सहायक के वर्तमान पदनाम से परिवर्तित करने का भी अनुमोदन किया।

ई सी : 11:14 सिक्किम प्रेस क्लब की कापरेट सदस्यता

कार्यवृत्त

11.14.1 सदन ने कार्यसूची मद पर विचार किया तथा प्रस्ताव का अनुमोदन किया। सदन ने कहा कि सिक्किम विश्वविद्यालय के अंगीभूतों को सिक्किम प्रेस क्लब द्वारा उपलब्ध करवाए गए अवसरों का पूर्णरूपेण उपभोग करना चाहिए तथा इनके कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए।



ई सी : 11:15	शिक्षण पदों एवं आगामी शिक्षण पदों पर भर्ति हेतु उपकुलपति के प्रति शक्तियों का प्रत्यायोजन।
--------------	--

कार्यवृत्त

11.15.1 सदन ने कार्यसूची मद पर विस्तृत विचार किया। सदन ने सलाह दी कि उपकुलपति में सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 12 (3) के अनुसार महत्वपूर्ण मामलों में तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यक शक्तियां निहित हैं। उपकुलपति द्वारा लिए गए ऐसे सभी निर्णयों को कार्यकारी परिषद की आगामी बैठकों में सूचनार्थ एवं अगली आवश्यक कार्रवाई हेतु यदि कोई हो अधिनियम में यथानिर्धारित प्रस्तुत की जानी चाहिए।

11.15.2 यद्यपि, चूंकि भर्ति का संपूर्ण कार्य सामान्य, नियमित एवं नेमी गतिविधि है, अतः उपकुलपति को उपरोक्त धारा का उपयोग करना आवश्यक नहीं है एवं विगत की तरह ही प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए, जिसके प्रतिफलन को कार्यकारी परिषद के समक्ष विधिवत् जब कभी इनकी आगामी बैठक आयोजित होती है, रिपोर्ट की जाए।

11.15.3 इस प्रकार सदन ने महसूस किया कि इनके लिए उपकुलपति के प्रति शक्तियों का प्रत्यायोजन सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 12(3) के अंतर्निहित वर्तमान प्रावधानों की दृष्टि से आवश्यक नहीं है।

ई सी : 11:16	कार्यकारी परिषद द्वारा परीक्षा नियंत्रण के पद हेतु चयन समिति बोर्ड के प्रति सदस्यों को नामित किया जाना।
--------------	---

कार्यवृत्त

11.16.1 सदन ने कार्यसूची मद पर विस्तृत विचार किया एवं तदनुसार माननीय सदस्य प्रो० एस सी सिंह को परीक्षा नियंत्रक के पद हेतु चयन समिति बोर्ड के प्रति नामित किया। आगे भी सदन ने पूर्वोत्तर हिल विश्वविद्यालय, शिलांग से प्रो० डैविड शिमल एवं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से डा० एस चंद्रशेखरन का चयन समिति बोर्ड के प्रति नामांकन/मूल्यांकन के क्षेत्र में उनकी सिद्ध एवं चिरकालिक विशेषज्ञता को ध्यान में रखकर सुझाव दिया।



ई सी : 11:17	शैक्षणिक परिषद के गठन पर सांविधि के प्रति संशोधन।
--------------	---

कार्यवृत्त

11.17.1 सदन ने प्रस्तावित संशोधन पर विचार किया तथा सहमत हुआ कि विश्वविद्यालय की शैक्षणिक सुविधाओं एवं प्रशासनिक अनिवार्यताओं के लिए यह विश्वविद्यालय के लिए लाभप्रद होगा यदि द्वितीय शैक्षणिक परिषद एवं द्वितीय कार्यकारी परिषद समान-कालिक हों। यद्यपि इस बात की दृष्टि से कि द्वितीय शैक्षणिक परिषद का गठन एम एच आर डी, नई दिल्ली द्वारा किया जाता है, सदन ने प्रस्तावित संशोधन लागू किए जाने की अनुशंसा की तथा विश्वविद्यालय को एम एच आर डी, नई दिल्ली से संपर्क करने की सलाह दी, ताकि इस पर अनुमोदन प्राप्त किया जा सके।

ई सी : 11:18	नियमित कर्मचारियों के उनकी परीक्षाअवधिके दौरान आवेदनों को अग्रेषित करना एवं एन ओ सी जारी करना।
--------------	--

कार्यवृत्त

11.18.1 सदन ने प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव को नोट एवं अनुमोदन किया। इसने विश्वविद्यालय के द्वारा नियमित संकाय सदस्यों/कर्मचारियों के आवेदनों को अग्रेषित न किए जाने एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी न करने के पक्ष का जोरदार समर्थन किया, जो कि विश्वविद्यालय में परीक्षा अवधि के अधीन हैं। सदन ने सुझाव दिया कि इस प्रस्ताव को अध्यादेश का एक अंश बनाया जाए।

ई सी : 11:19	एम फिल पाठ्यक्रमों के लिए अनंतिम मार्गदर्शन।
--------------	--

कार्यवृत्त

11.19.1 सदन ने प्रस्तुत कार्यसूची मद को शीर्षक को "सी एस ए आर का गठन" के रूप में संशोधन एवं कार्यसूची टिप्पणी के अंतर्वस्तु का विश्लेषण करते हुए अनुमोदन किया। श्री सोनम वांगडी ने सुझाव दिया कि एफ फिल पाठ्यक्रम के लिए मार्गदर्शन तैयार करने में विश्वविद्यालय भारत एवं विदेश के प्रख्यात विश्वविद्यालयों के प्रावधानों का अनुसरण एवं परामर्श करे, ताकि सिक्किम विश्वविद्यालय में अनुसंधान के क्षेत्र में सर्वोत्तम मार्गदर्शन एवं प्रावधान उपलब्ध हो।



ई सी : 11:20	भर्ति नियमावली पर अध्यादेश में संशोधन - शिक्षण पदें ।
--------------	---

कार्यवृत्त

11.20.1 सदन ने भर्ति नियमावली पर अध्यादेश-शिक्षण पदों में प्रस्तावित संशोधन पर विचार किया तथा विश्वविद्यालय को इसे कार्यान्वित करने का निर्देश देते हुए अनुमोदन किया।

ई सी : 11:21	गैर शिक्षण कार्मिकों की भर्ति पर अध्यादेश में संशोधन।
--------------	---

कार्यवृत्त

11.21.1 सदन ने गैर शिक्षण कार्मिकों की भर्ति पर अध्यादेश में प्रस्तावित प्रस्तावित संशोधन पर विचार किया तथा विश्वविद्यालय को इस कार्यान्वित करने का निर्देश देते हुए अनुमोदन किया ।

ई सी : 11:22	सिक्किम विश्वविद्यालय के 12वीं पंच वर्षीय योजना प्रस्ताव।
--------------	---

कार्यवृत्त

11.22.1 सदन ने कार्यसूची मद को नोट करने के बाद साथ ही विश्वविद्यालय द्वारा एक समग्र एवं दूरदर्शी 12वीं पंच वर्षीय योजना (2012-17) के निर्माण में किए गए पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह योजना प्रस्ताव कार्यकारी परिषद के अनुमोदन के पूर्व वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए । इस पर विचार करते हुए, सदन ने विश्वविद्यालय को वित्त समिति एवं कार्यकारी परिषद की बैठकें एक ही दिन क्रमिक रूप से आयोजित करने की सलाह दी, ताकि 12 वीं पंचवर्षीय योजना प्रस्ताव को यू जी सी के समक्ष प्रस्तुत करने के पूर्व अनुमोदित किया जा सके । प्रो० एस सी सिंह ने सूचि किया कि वे यू जी सी अध्यक्ष से सिक्किम विश्वविद्यालय को 12वीं पंच वर्षीय योजना प्रस्तुत करने में विश्वविद्यालय के भौगोलिक अवस्थान पर विचार करते हुए साथ ही इस क्षेत्र में संसाधनों की अल्प उपलब्धता के कारण समय विस्तार दिए जाने का अनुरोध करेंगे ।

ई सी : 11:23	अगले उपकुलपति की नियुक्ति की खोज समिति हेतु कार्यकारी परिषद द्वारा
--------------	--



सदस्यों को नामित किया जाना ।

कार्यवृत्त

11.23.1 सदन ने कार्यसूची मद को विस्तारपूर्वक नोट किए जाने के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा पिछले साढ़े चार वर्षों में कई अवरोधों के बावजूद, महेंद्र पी लामा, संस्थापक उपकुलपति के योग्य नेतृत्व में की गठ पर्याप्त एवं अद्वितीय प्रगति की प्रशंसा की । सदन ने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा आरंभ किए गए शैक्षणिक कार्यक्रम अत्यधिक नवीकरणीय एवं दूरगामी है, विश्वविद्यालय को प्रबंधन एवं प्रशासन दोनों प्रभावी एवं पारदर्शी हैं तथा विश्वविद्यालय का प्रचालन दृढ़ वैश्विक भागीदारी के साथ शुद्ध राष्ट्रीय, साथ ही स्थानीय आशाओं एवं आकांक्षाओं के पूट से भरा है ।

11.23.1 सदन ने कार्यसूची मद को विस्तारपूर्वक नोट किए जाने के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा पिछले साढ़े चार वर्षों में कई अवरोधों के बावजूद, महेंद्र पी लामा, संस्थापक उपकुलपति के योग्य नेतृत्व में की गठ पर्याप्त एवं अद्वितीय प्रगति की प्रशंसा की । सदन ने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा आरंभ किए गए शैक्षणिक कार्यक्रम अत्यधिक नवीकरणीय एवं दूरगामी है, विश्वविद्यालय को प्रबंधन एवं प्रशासन दोनों प्रभावी एवं पारदर्शी हैं तथा विश्वविद्यालय का प्रचालन दृढ़ वैश्विक भागीदारी के साथ शुद्ध राष्ट्रीय, साथ ही स्थानीय आशाओं एवं आकांक्षाओं के पूट से भरा है ।

11.23.2 संस्थापक उपकुलपति प्रो० महेंद्र पी लामा का कार्यकाल 02.07.2012 तक समाप्त होने पर विचार करते हुए, सदन ने अगले उपकुलपति की नियुक्ति हेतु एक खोज समिति का गठन की अनुशंसा किया । चर्चाओं के कई दौर के बाद बाद, सदन ने प्रो० एस के थोराट, पूर्व अध्यक्ष, यू जी सी एवं प्रो० एम आनंद कृष्णन, अध्यक्ष आई आई टी, कानपुर के नामों की अनुशंसा खोज समिति के प्रति किया, जिनमें से दोनों विश्वविद्यालय प्रशासन में पर्याप्त अनुभव के साथ उत्कृष्ट प्रतिष्ठा तथा समाजिक विज्ञान, मानविकी एवं प्राकृतिक विज्ञानों में उच्च शैक्षणिक विश्वसनीयता रखते हैं।

ई सी : 11:24

वार्षिक रिपोर्ट 2010-11 का अनुमोदन

कार्यवृत्त

11.24.1 सदन ने इनके समक्ष प्रस्तुत ड्राफ्ट वार्षिक रिपोर्ट 2010-11 पर विचार किया, तथा उपकुलपति को इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय को आगे अंतिम रूप देकर संसद के सदनों में प्रस्तुत किए जाने के लिए प्रेषित करने को प्राधिकृत किया ।



ई सी : 11:25	सिक्किम विश्वविद्यालय में विन्टर सोजर्न कार्यक्रम, म्यूजियम परियोजना, मौखिक इतिहास परियोजना, केंद्रीय विद्यालय बोर्ड एवं सामुदायिक रेडियो परियोजना में कार्यकारी परिषद के सदस्यों को नामित किया जाना।
--------------	---

कार्यवृत्त

11.25.1 सदन विश्वविद्यालय द्वारा संस्थापक उपकुलपति के नेतृत्व में विभिन्न शैक्षणिक परियोजनाओं में किए गए पहल एवं प्राप्त उपलब्धियों से गहन कृतज्ञ था, एवं इसने इनकी लिए अपनी प्रशंसा दर्ज की। सदन ने संस्थापक कुलपति को ऐसी शानदार शैक्षणिक एवं अर्ध-शैक्षणिक परियोजनाओं को परिकल्पित करने के लिए बधाई दी, जो कि विश्वविद्यालय भ्रातसंघ एवं राज्य के साथ ही आस पास के समस्त क्षेत्र के नागरिक दोनों के बीच बौद्धिक विकास, ज्ञान सृजन, धरोहर प्रतिक्रमण एवं नवीकरणीय शिक्षण एवं प्रशिक्षण विधियों में अभिवृद्धि करने में प्रेरक तथा प्रदायक होंगे।

11.25.2 नवीकरणीय पहलों द्वारा प्रोत्साहित होकर साथ ही इन परियोजना को समेकित करने की दृष्टि से निम्नलिखित गणमान्य सदस्यगण यथा उल्लेखित संबंधित विश्वविद्यालयी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए आगे आए :

क्र. सं.	परियोजना का नाम	कार्यकारी परिषद सदस्य
1.	विन्टर सोजर्न कार्यक्रम	प्रो० डा० (श्रीमती) आशुम गुप्ता
2.	मौखिक इतिहास परियोजना	श्री सोनम वांगडी
3.	म्यूजियम एवं आर्किव परियोजना	प्रो० आर आर राव
4.	यांग्यांग स्थित केंद्रीय विद्यालय की स्थापना	प्रो० एस सी सिंह
5.	सामुदायिक रेडियो परियोजना	प्रो० अतुल शर्मा

ई सी : 11:26	शिक्षण कर्मचारियों की छुट्टी नियमावली।
--------------	--

कार्यवृत्त

11.26.1 सदन ने शिक्षण कर्मचारियों के लिए छुट्टी नियमावली का अनुमोदन किया तथा विश्वविद्यालय को इस विषय पर सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम में यथा-निर्धारित प्रावधानों को समावेश करते हुए एक अध्यादेश जारी करने का निर्देश दिया



ई सी : 11:27	शिक्षण कर्मचारियों की भर्ति (संविदाजन्य आधार पर)
--------------	--

कार्यवृत्त

11.27.1 सदन ने निम्नलिखित दो नए विभागों के लिए अनिवार्यता उपाय के रूप में संकायों की संविदा आधार पर भर्ति का अनुमोदन किया तथा विश्वविद्यालय के पदधारियों को नियमित आधार पर लाए जाने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। इन दो नए विभागों में शैक्षणिक कार्यक्रम 2012-13 सत्र से आरंभ होंगे :

क्र. सं.	विभाग
1.	गणित एवं सांख्यिकी विभाग
2.	हिंदी भाषा एवं साहित्य विभाग

ई सी : 11:28	अध्ययन के नए पाठ्यक्रमों एवं वर्तमान पाठचर्या की समीक्षा हेतु पाठ्यचर्या विकास समितियों का गठन।
--------------	---

कार्यवृत्त

11.28.1 सदन ने अध्ययन के नए पाठ्यक्रमों एवं वर्तमान पाठचर्या की समीक्षा हेतु पाठ्यचर्या विकास समितियों के गठन, साथ ही इन समितियों द्वारा प्रयोगशाला आधारित पाठ्यक्रमों के लिए योजनाएं एवं प्राक्कलन निर्माण का सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन किया। माननीय सदस्यगण ऐसी समितियों के गठन हेतु उपकुलपति को अतिरिक्त नाम सुझाए जाने के लिए भी सहमत हुए।



ई सी : 11:29	नए वित्त अधिकारी के पैनल की संपुष्टि ।
--------------	--

कार्यवृत्त

11.29.1 अध्यक्ष महोदय ने सदन के समक्ष कार्यसूची मद का विस्तार से वर्णन किया तथा ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सदन के निर्देशों की अपेक्षा किया, जहां चयनित सूची के दोनों अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्ताव स्वीकारने की संभावना नहीं है ।

11.29.2 सदन ने द्वितीय वित्त अधिकारी की भर्ति हेतु पैनल की संपुष्टि करते हुए निर्देश दिया कि विश्वविद्यालय इस विषय में विशेषज्ञता रखने वाले व्यवसायिकों को विशेष कार्य अधिकारी के रूप में लाने की तत्काल व्यवस्था आरंभ करे तथा उनकी सेवाओं को तब तक जारी रखे, जब तक कोई नियमित वित्त अधिकारी कार्यभार ग्रहण नहीं करता है । सदन ने निम्नलिखित नामों की अनुशंसा संगत क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता के बल पर अपने साहचर्य का उपयोग करने के लिए की गइ:

1. श्री दिवाकर कानुनज्ञ, पूर्व वित्त अधिकारी, असम विश्वविद्यालय
2. श्री एस के पांजा, मुख्य लेखा अधिकारी, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कलकत्ता

11.29.3 सदन ने श्री पी वी रवि की दिनांक 12.09.2011 से 05.12.2011 तक की अवधि के लिए विशेष कार्य अधिकारी के रूप में नियुक्ति की संपुष्टि की ।

ई सी : 11:30	शिक्षण एवं शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति/पदत्याग (संविदा आधार पर)
--------------	--

कार्यवृत्त

11.30.1 सदन ने कार्यसूची मद में यथा उल्लेखित शिक्षण एवं शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्तियों एवं पदत्याग (संविदा आधार पर) को नोट किया एवं इसकी संपुष्टि की ।

ई सी : 11:31	प्रबंधन कर्मचारियों की नियुक्ति/पदत्याग (संविदा, नियमित एवं कार्यकालिक आधार पर)
--------------	---

कार्यवृत्त

11.31.1 सदन ने कार्यसूची मद में यथा उल्लेखित प्रबंधन कर्मचारियों की नियुक्ति एवं पदत्याग (संविदा, नियमित एवं कार्यकालिक आधार पर) को नोट किया एवं संपुष्टि की।

ई सी : 11:32	वेतनों का परिशोधन (शिक्षण/शैक्षणिक/गैर शिक्षण कर्मचारीगण)
--------------	---



कार्यवृत्त

11.32.1 सदन ने कार्यसूची मद में यथा उल्लेखित शिक्षण/शैक्षणिक/गैर शिक्षण कर्मचारियों के संबंध में किए गए वेतन परिशोधन की संपुष्टि की ।

ई सी : 11:33	वी वी गिरी राष्ट्रीय श्रमिक संस्थान, नोएडा के साथ एम ओ यू
--------------	---

कार्यवृत्त

11.33.1 सदन ने कार्यसूची मद पर विचार किया तथा विश्वविद्यालय द्वारा वी वी गिरी राष्ट्रीय श्रमिक संस्थान, नोएडा के साथ एम ओ यू हस्ताक्षरित करने की संपुष्टि की ।

ई सी : 11:34	राष्ट्रीय म्युजियम संस्थान एवं भारतीय राष्ट्रीय आर्किव, दिल्ली के साथ प्रस्तावित एम ओ यू
--------------	--

कार्यवृत्त

11.34.1 सदन ने कार्यसूची मद पर विचार किया तथा विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय म्युजियम संस्थान एवं भारतीय राष्ट्रीय आर्किव, दिल्ली के साथ एम ओ यू हस्ताक्षरित करने की संपुष्टि की ।

ई सी : 11:35	एक बार हेतु शून्य सेमेस्टर मामले
--------------	----------------------------------

कार्यवृत्त

11.35.1 सदन ने नोट किया कि इस विषय पर शैक्षणिक परिषद द्वारा इनके दिनांक 20.08.2011 को आयोजित बैठक में अनुमोदन किया गया है तथा इसकी एक बार के उपाय के रूप में संपुष्टि की गई ।

ई सी : 11:36	सामुदायिक रेडियो परियोजना का आरंभ किया जाना
--------------	---

कार्यवृत्त

11.36.1 सदन ने विश्वविद्यालय द्वारा सामुदायिक रेडियो परियोजना आरंभ किए जाने के लिए की गई पहल की प्रशंसा की तथा इसकी संपुष्टि की ।



ई सी : 11:37	द्वितीय शरद सोर्जन कार्यक्रम की परिसमाप्ति
--------------	--

कार्यवृत्त

11.37.1 सदन ने कार्यसूची मद पर विचार किया तथा विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे शानदार कार्यक्रम के लिए की गई पहल की प्रशंसा की एवं इसकी संपुष्टि की ।



ई सी : 11:38	रजिस्ट्रार की नियुक्ति
--------------	------------------------

कार्यवृत्त

11.32.1 सदन ने कार्यसूची को अपने सूचनार्थ नोट किया एवं तत्पश्चात डा0 ज्योति प्रकाश तामंग को सिक्किम विश्वविद्यालय के प्रथम रजिस्ट्रार के रूप में 2 वर्ष 4 महीने एवं 10 दिनों के कार्यकाल के लिए नियुक्त होने पर बधाई दी ।

ई सी : 11:39	विश्वविद्यालय पुस्तकालय के कार्यप्रणाली पर संक्षिप्त रिपोर्ट
--------------	--

कार्यवृत्त

11.39.1 सदन ने विचार एवं नोट किया तथा विश्वविद्यालय की पूर्णरूपेण सज्जित एवं अत्याधुनिक पुस्तकालय स्थापित करने के लिए सराहना की ।

ई सी : 11:40	विश्वविद्यालय को प्रणालियों के प्रबंधन पर संक्षिप्त रिपोर्ट
--------------	---

कार्यवृत्त

11.40.1 सदन ने कार्यसूची मद पर विचार किया तथा अपने सूचनार्थ नोट किया ।

ई सी : 11:41	सिक्किम विश्वविद्यालय द्वारा यू जी सी नेट परीक्षा आयोजित करना
--------------	---

कार्यवृत्त

11.41.1 सदन ने इनके समक्ष प्रस्तुत कार्यसूची मद को नोट किया तथा सिक्किम एवं आसपास वृहत संख्या में नेट/आई आर एफ अर्हताप्राप्त छात्रों एवं शिक्षकों के सृजन में किए गए प्रयास की प्रशंसा की ।



ई सी : 11:42	भवनों को किराए पर लिए जाने की स्थिति
--------------	--------------------------------------

कार्यवृत्त

11.42.1 सदन ने कार्यसूची मद में यथा उल्लेखित विश्वविद्यालय द्वारा किराए पर लिए जाने वाले भवनों की स्थिति को अपने सूचनार्थ नोट किया । सदन ने सिक्किम सरकार द्वारा इस प्रकार कोई पर्याप्त कारण के साथ ही विश्वविद्यालय को भूमि ग्रहण करने के लिए चार चार पत्र जारी करने के बावजूद भी भूमि आवंटन में किए जा रहे विलंब पर असंतोष व्यक्त किया ।

ई सी : 11:43	स्वीकृत संख्या बल एवं पदस्थापित कर्मचारी की स्थिति
--------------	--

कार्यवृत्त

11.43.1 सदन ने कार्यसूची मद में प्रस्तुत स्वीकृत संख्या बल एवं पदस्थापित कर्मचारियों की स्थिति (शिक्षण एवं गैर शिक्षण दोनों) को अपने सूचनार्थ नोट किया ।

ई सी : 11:44	यांग्यांग स्थित कैंपस भूमि
--------------	----------------------------

कार्यवृत्त

11.44.1 कार्यसूची मद को नोट करते हुए सदन ने सिक्किम सरकार की विश्वविद्यालय को 4 ½ वर्ष व्यतित होने के बावजूद भी भूमि सौंपे जाने की आयोग्यता पर गहरी चिंता व्यक्त की । सदन ने कहा कि इस विलंब से भारत सरकार को परियोजना के कार्यान्वयन में लागत एवं समय दोनों का घाटा लग रहा है। यह अप्रत्यक्ष रूप से सिक्किम सरकार को भी गुणता उच्चतर शिक्षा की उपलब्धता में क्षति पहुंचा रहा है, जो कि विश्वविद्यालय कैंपस निर्माण के बाद प्रदान करने को इच्छुक है । यह भी कहा गया कि भूमि सौंपे जाने में विलंब के परिणामस्वरूप संकाय, कार्मिक एवं छात्रों के बीच गंगटोक में तीन वर्षों से अधिक रह लेने के बाद यांग्यांग स्थानांतरित होने में प्रतिरोध पैदा करेगा । विश्वविद्यालय को यू जी सी द्वारा 11 पंचवर्षीय योजना हेतु प्रदत्त विशाल राशि वापस करनी पड़ेगी । विगत में ई सी द्वारा इस विषय पर कई प्रस्ताव पारित किए गए हैं तथा माननीय मंत्री द्वारा द्वारा भी राज्य सरकार को पत्र लिखे गए हैं ।



ई सी : 11:45	नामांकन हेतु कार्य योजना 2012-13
--------------	----------------------------------

कार्यवृत्त

11.45.1 सदन में इनके समक्ष कार्यसूची मद में प्रस्तुत शैक्षणिक सत्र 2012-13 हेतु नामांकन के लिए कार्ययोजना साथ ही चुन्नान (चीन) में प्रस्तावित नए विदेशी केंद्र पर विचार एवं नोट किया।

ई सी : 11:46	कार्यकारी परिषद की अगली बैठक
--------------	------------------------------

कार्यवृत्त

11.46.1 सदन ने कार्यकारी परिषद की अगली बैठक दिनांक 30 मार्च 2012 को आयोजित करने का अपना अनुमोदन दिया तथा तदनुसार इसे नोट किया ।

ई सी : 11:47	भौतिक एवं रसायन विज्ञान स्कूल में अतिथि प्रोफेसरों की नियुक्ति
--------------	--

कार्यवृत्त

11.47.1 सदन ने कार्यसूची मद पर विचार किया तथा प्रो ए.पी. पाठक को भौतिक एवं रसायन विज्ञान स्कूल में अतिथि प्रोफेसर के रूप में आमंत्रित करने का अनुमोदन प्रदान किया । सदन ने अतिथि प्रोफेसर को दिए जाने वाले मानदेय के बारे में पूछा, जिसपर यह सूचित किया गया कि अध्यादेश के अनुसार मानदेय पैकेज में प्रथमतः किसी प्रोफेसर का वेतन साथ ही विश्वविद्यालय का भौगोलिक अवस्थान पर विचार करते हुए ₹0 20,000 का पर्व सम्मिलित होगा।

ई सी : 11:48	गैर शिक्षण कर्मचारियों को नियमित आधार पर नियुक्ति (पिछली रिक्तियां)
--------------	---

कार्यवृत्त

11.48.1 सदन ने इनके समक्ष प्रस्तुत कार्यसूची मद पर विस्तृत विचार किया । अध्यक्ष महोदय ने सदन के समक्ष उन कारणों को स्पष्ट किया, जिनके परिणामस्वरूप कुछ विशिष्ट पदों में पिछली रिक्तियां हुई हैं । अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि इन पदों को पुनर्विज्ञापित किया गया था, तथा विश्वविद्यालय के अध्यादेश एवं सिविकम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 में निर्धारित उपबंधों का अनुसरण करते हुए संपूर्ण भर्ति प्रक्रिया संचालित की गई थी । इस पर चयन समिति बोर्ड का गठन किया गया था, जिसमें ज्ञान एवं प्रतिष्ठा के एक बृहत क्षेत्र से विशेषज्ञों एवं व्यवसायिकों को सम्मिलित किया गया था ।



11.48.2 बाद में विधिवत अनुशंसा प्राप्त चयनित अभ्यर्थियों के पैन को मोहरबंद लिफाफे साथ ही चयन समिति द्वारा अन्य संबंधित अनुशंसाओं को सदन के समक्ष खोले गए थे ,तथा अध्यक्ष ने पैनल की सूची से चयनित अभ्यर्थियों के नाम पढ़ा था तथा इसे सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था ।

11.48.3 सदन ने अनुभाग अधिकारी एवं निजी सचिव हेतु नामों के उद्घाटित पैनल पर विचार किया तथा पैनलों का अनुमोदन किया (अनुलग्नक ई सी XI एम 2 के रूप में संलग्न)

11.48.4 सदन ने विभिन्न पदों के लिए पैनल में सूचीबद्ध चयनित अभ्यर्थियों के प्रति नियुक्ति प्रस्ताव जारी करने के लिए भी अनुमोदन किया ।

ई सी : 11:49	विशेष कार्य अधिकारी की नियुक्ति
--------------	---------------------------------

कार्यवृत्त

11.49.1 सदन ने कार्यसूची मद पर विस्तृत विचार किया तथा उपकुलपति को विशेषिकृत /प्रशिक्षित विशेषज्ञों/व्यवसायिकों को लाने तथा उनकी सेवाओं को तब तक उपभोग करने के लिए प्राधिकृत किया जब तक कि नियमित पदधारी उपलब्ध नहीं होते हैं । उनकी सेवाएं विधिक, वित्त एवं प्रबंधन सदृश्य क्षेत्रों के साथ ही विश्वविद्यालय के 12वीं योजना दस्तावेज को यथाशीघ्र तैयार करने में भी ली जा सकती हैं ।

ई सी : 11:50	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय
--------------	--------------------------------------

कार्यवृत्त

11.50.1 अन्य कोई मद नहीं होने के कारण अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक को समाप्त घोषित किया गया ।

ह0

(डा0 ज्योति प्रकाश तामांग)

रजिस्ट्रार एवं सचिव

कार्यकारी परिषद